न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. — 46 / 2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगणः–
मुकेश पुत्र अचलाराम, जाति सोनार, निवासी बागोडा, हाल निवासी नरता तहसील भीनमाल, जिला जालोर		1.सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री मोहनलाल, 2.गोपीकिशन पुत्र स्व. श्री मोहनलाल, सभी जाति श्रीमाली,निवासी बागोडा, तहसील बागोडा, जिला जालोर 3.फाउलाल पुत्र भभूताजी 4.जुआराराम पुत्र भभूताजी 5.वीरमाराम पुत्र भभूताजी 6.खीन्दाराम पुत्र भभुताजी 7.तेजाराम पुत्र भभूताजी अप्रार्थीगण सं.3 से 7 सभी जाति प्रजापत,निवासी बागोडा, तहसील बागोडा, जिला जालोर 8.रमेशकुमार पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण 9. लक्षमीनारायण पुत्र स्व.श्री बद्रीनारायण 10.दिनेशकुमार पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण, सभी जाति श्रीमाली,निवासी बागोडा, तहसील बागोडा, जिला जालोर 11.भोलाराम पुत्र श्री पीराराम, जाति कलबी, 12.पुखराज पुत्र श्री पीराराम,जाति कलबी, प्रत्यर्थी सं.6 व 7 निवासी बगोटी, तहसील बागोडा, जिला जालोर 13.ममताकुमारी पुत्री श्री लक्षमीनारायण 14.सविता देवी पुत्री श्री लक्षमीनारायण 15.हीणा कुमारी पुत्री श्री दिनेशकुमार 16.जावित्रीदेवी पत्नि श्री दिनेशकुमार, अप्रार्थी सं.13 से 16 ,जाति श्रीमाली,निवासी बागोडा, तहसील बागोडा, जिला जालोर 17.सरपंच, ग्राम पंचायत बागोडा 18.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बागोडा

अन्तर्गत धारा 20(2)के परन्तुक राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970

(प्रकरण सं. 46/2016,मुकेश बनाम सत्यनारायण ,गैराह)
—2—

उपस्थिति :—
1.श्री जगदीश गोदारा व श्री पारसमल बाराडा,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री शंभूदान आसिया, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1,3से 7 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.18 की ओर से।
4.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.8,9,13,14 की ओर से।
5.अप्रार्थी सं.2,10,11,12,15से 17 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 30.8.2019

1. यह प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बागोडा के पुराने खसरा 651 रकबा 292 बीघा 16 बिस्वा,गैर मुमकिन पायतन का आया हुआ है जो खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2029 में गैर मुमकिन पायतन दर्ज है। गैरमुमकिन पायतन की भूमि एक जलागम क्षैत्र है जिसमें से प्राकृतिक पानी इकट्ठा होकर तालाब नाडी आदि में आता है,गैर मुमकिन पायतन भूमि का कोई भी नियमन आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार की भूमि को खातेदारी देने में वर्जना दी हुई है। पुराने खसरा नम्बर 651 में से 53 बीघा 5 बिस्वा रकबे को रेगुलाईज बताकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता मोहनलाल पुत्र केसुराम श्रीमाली के नाम जरिये नामान्तरकरण सं.156 के द्वारा सरपंच,ग्राम पंचायत बागोडा द्वारा दर्ज किया गया जिसके आगे पट्टा सं. 792/651 डाले गये जिसके नये खसरा नम्बर 1274,1274/1548 है। खसरा नम्बर 651 गैर मुमकिन पायतन की 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 157 सरपंच श्री धर्माशंकर, ग्राम पंचायत बागोडा द्वारा अपने स्वयं के नाम भूमि दर्ज की । पटवारी हल्का ने आलोच्य नामान्तरकरण सं. 156 के आधार पर प्रार्थी के पिता स्व. अचलीया पुत्र मायाराम की खातेदारी भूमि ग्राम बागोडा के पुराने खसरा नम्बर 614 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा को भी अप्रार्थी सं.1व 2 के पिता स्व. मोहनलाल व बद्रीनारायण के नाम खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2024से 2027 में दर्ज कर दिया जो आगे से आगे जमाबंदी में बाले—बाले दर्ज किया जाता रहा है, खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2024 से 2027 में अप्रार्थी सं.1 व 2 के पिता के नाम दर्ज करने की प्रविष्ठि तथा उसके पश्चात्वर्ती समस्त प्रविष्ठिया शून्य है एवं स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी व्यथित तथा हितबद्ध पक्षकार है जिसको चुनौति देने का अधिकार रखता है। प्रार्थी अपने पिता के खातेदारी भूमि पर विरासत नामान्तरकरण की कार्यवाही करने गया जिसके लिए खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2020से 2027 की नकले रेकर्ड से मंगवाई ,नकले प्राप्त की, तब पहली बार जानकारी हुई, जिस पर

खातेदारी की भूमि ग्राम बागोडा के पुराने खसरा नम्बर 614 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा को भी अप्रार्थी सं.1 व 2 के पिता स्व. मोहनलाल व बद्रीनारायण के नाम खतौनी बन्दोबस्त संवतफ 2024 से 2027 में दर्ज कर दिया जो आगे से आगे जमाबंदी में बाले–बाले दर्ज किया जाता रहा है। प्रार्थी ने नामान्तरकरण सं.156 की नकल ली तथा इसके बाद सूचना आदेश के तहत् रेगुलाईजेशन के आदेश की तहसीलदार भीनमाल बागोडा को आवेदन किया ,वहां से इस प्रकार का कोई रेगुलाईजेशन आदेश जारी नहीं होने का जवाब अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर जालोर में दिनांक 20.7.2016को दिया तब जानकारी हुई,जानकारी से प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद है। अतः म्युटेशन सं.156 दिनांक 7.3.1968 को निरस्त किये जाने तथा उसके आधार पर समस्त राजस्व रैकार्ड की प्रविष्ठियों को निरस्त करावे तथा भूमि पुराने खसरा नम्बर 792/651 रकबा 53 बीघा 5 बिस्वा को गैर मुमकिन पायतन में बहाल किये जाने का तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 614 की पूर्व खतौनी संवत् 2020 से 2023 की प्रविष्ठियों को बहाल किये जाने का आदेश करावे, इसके समर्थन में प्रार्थीगण वकील ने माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी.सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज.सरकार ,निर्णय दिनांक 2.8.2004 पेज 435 की नजीर पेश की। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं. 8,9,13,14 के अभिभाषक ने बहस में बताया कि प्रार्थनापत्र में म्युटेशन सं. 156 को चैलेन्ज किया गया है जबकि धर्माशंकर का म्युटेशन सं.157 के जरिये भरा गया है,म्युटेशन सं. 157 को प्रार्थनापत्र में कही पर भी चैलेन्ज नही किया गया है। यह प्रकरण 20(2) के परन्तुक राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)के तहत् गलत रूप से पेश किया गया है जो कि प्रकरण धारा 14(4)राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आता है, इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1,3से 7के वकील ने बहस में बताया कि प्रार्थनापत्र म्याद बाहर हैं तथा उसे म्याद में लेने हेतु कोई प्रार्थनापत्र भी पेश नहीं किया गया है, न ही शपथपत्र पेश किया है,म्युटेशन सं.156 सन् 1968 में स्वीकृत किया गया है तथा प्रार्थी ने नियम 1970 के तहत् यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं हैं क्योंकि सन् 1970 के नियम सन् 1968 में हुए आवंटन पर लागू नहीं होते है, यह भी बताया कि 58 साल से प्राप्त खातेदार अधिकार को म्युटेशन की आड में समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि म्युटेशन की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसके जरिये हक–हकूक निर्धारण नहीं किया जा सकता है जिस हेतु नियमित वाद आवश्यक है, प्रार्थनापत्र के पद सं.7 में प्रार्थी ने अपनी अन्य भूमि खसरा नम्बर 614 रकबा 15 बीघा14 बिस्वा की खातेदारी भी इस प्रार्थनापत्र की ओठ में प्राप्त करनी चाहिये जो इस म्युटेशन की कार्यवाही में कतई कानूनन संभव नहीं है,म्युटेशन सं. 156 में भूमि की किस्म पायतन नहीं होकर बारानी दोयम दर्ज है, धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में पायतन भूमि का उल्लेख नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा बागोडा के खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011–2029 अनुसार ग्राम बागोडा के पुराने खसरा नम्बर 651 रकबा 292बीघा 16 बिस्वा ,गैर मुमकिन पायतन दर्ज है जिसमें से 53 बीघा 5 बिस्वा को रेगुलराईज बताकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता मोहनलाल पुत्र केसुराम ,जाति श्रीमाली के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 156 के द्वारा दर्ज कर दिया जिसके आगे बटा सं. 792/651 डाले गये जिसके नये खसरा नम्बर 1274,1274/1548 हैं। विवादित भूमि गैर मुमकिन पायतन है जो राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते है।साथ ही माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज.सरकार ,निर्णय दिनांक 2.8.2004 पेज 435 की नजीर में बताया है कि पर्यावरण–जलागम क्षैत्र का पुनःस्थापन–लोकहित वाद–नदी की भूमि,निर्माण में प्रयुक्त नही की जा सकती–दिनांक 18.7.2003 के न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत राज्य द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने तथा जमागम क्षैत्रों को उनकी मूल स्थिति में पुनः लाने का राज्य को निदेश किया गया जो इसमें लागू होती है। इसके अलावा म्युटेशन सं. 156 में के कॉलम सं. 14 में रेगुलाइज आदेश क्रमांक व दिनांक तथा किस अधिकारी ने आदेश जारी किया उसका वर्णन अंकित नहीं है तथा उक्त म्युटेशन पटवारी हल्का नही भरा गया है जो सन्देहजनक है। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011से 2029 अनुसार खसरा नम्बर 651 रकबा 292बीघा 16 बिस्वा पायतन दर्ज है जो नियमन योग्य नही है।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970के नियम 14(4)के अनुसार "कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी द्वारा (या नियम 21द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा) किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्य करने की शक्ति होगी ,यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया होया यदि आवंटी ने आवंटन की शर्तो में से किसी शर्त को भंग किया हो, उक्त प्रकरण में ग्राम बागोडा का नामान्तरकरण सं. 156 दिनांक 7.3.1968 सरपंच,ग्राम ग्राम पंचायत बागोडा द्वारा नियमन का हवाला देकर स्वीकार किया है, उक्त नामान्तरकरण द्वारा खसरा नम्बर 792/651 रकबा 53 बीघा 5 बिस्वा भूमि मोहनलाल पुत्र केसुराम के नाम कर दी, उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2029 के खाता सं.228 के अनुसार खसरा नम्बर 651 रकबा 292 बीघा 16 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पायतन थी।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् गैर मुमकिन पायतन की भूमि का आवंटन/नियमन करना व उस पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबंध है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1,2–के पिता मोहनलाल पुत्र केसूराम को मौजा बागोडा के खसरा नम्बर 792/651 में 53 बीघा 5 बिस्वा का नियमन किया गया हो तो नियमन आदेश व उसकी पालना में भरा गया मौजा बागोडा म्युटेशन सं. 156/7.3.1968 निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकिन पायतन दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाज़ाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: